

भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण

, च-५, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, अलवर

दूरभाष: 01493230819 ई-मेल: bida.bhiwadi@rajasthan.gov.in

5559-67/22

दिनांक: 22/09/22

बैठक कार्यवाही विवरण

भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) की लोक निर्माण समिति की 10वीं बैठक दिनांक 2022 को सांय 3:00 बजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा भिवाड़ी की अध्यक्षता में सभागार बीडा जूसार में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया एवं बैठक का कार्यवाही विवरण जूसार है:-

क्र.सं.	पद नाम	समिति पदाधिकारी	उपस्थित अधिकारी का नाम व पद
1.	जिला कलक्टर, अलवर	सदस्य	प्रतिनिधि के रूप में श्री गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी
2.	महाप्रबन्धक (सिविल) रीको	विशिष्ट आंमत्रित सदस्य	श्री विजय गुप्ता, महाप्रबन्धक (सिविल) रीको
3.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी	सदस्य	प्रतिनिधि के रूप में श्री राकेश कुमार सैनी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी
4.	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर	सदस्य	प्रतिनिधि के रूप में श्री लाला राम, सहायक अभियन्ता
5.	अधीक्षण अभियन्ता, बीडा भिवाड़ी	सदस्य सचिव	श्री तैयब खान, अधीक्षण अभियन्ता, बीडा भिवाड़ी
6.	वरिष्ठ लेखाधिकारी, बीडा भिवाड़ी	सदस्य	श्री देवकी नन्दन गुप्ता वरिष्ठ लेखाधिकारी, बीडा भिवाड़ी
7.	अधीक्षण अभियन्ता (पावर), रीको	विशिष्ट आंमत्रित सदस्य	सलीम अहमद, अधीक्षण अभियन्ता (पावर) रीको
8.	अधिशाषी अभियन्ता (O&M), भिवाड़ी	विशिष्ट आंमत्रित सदस्य	श्री सतीश चन्द शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (O&M), भिवाड़ी
9.	अधिशाषी अभियन्ता (पावर), रीको	विशिष्ट आंमत्रित सदस्य	श्री जी.एल. शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (पावर), रीको

सर्वप्रथम बैठक में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में पधारे समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण में गठित लोक निर्माण समिति के समक्ष रखे गये बिन्दुओं का निमानुसार विवरण प्रस्तुत किया :-

। अलवर बाईपास सड़क (SH-25) के चौड़ाईकरण एवं सौन्दर्यकरण के अन्तर्गत आ रही स्थापित LT व HT (11 KV व 33 KV) विद्युत लाइनों की शिफिटिंग व भूतिगत करने वास्ते प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

भिवाड़ी (अलवर) राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो जिले के एनसीआर क्षेत्र में स्थित है। भिवाड़ी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सिर्फ 60 किमी और राज्य की एनसीआर जयपुर से 200 कि.मी. पर स्थित है। दिल्ली से इसकी निकटता के कारण भिवाड़ी से अधिक है। अधिकांश बड़े उद्योग भिवाड़ी-अलवर रोड पर स्थित हैं, जिससे भीड़भाड़ और भारी यातायात का आगमन होता है। भिवाड़ी की अधिकांश आवासिय आबादी अलवर बाईपास लिंक रोड पर भी रहती है। वर्तमान में अलवर बाईपास रोड फोर लेन है। जिसपर यातायात का काफी दबाव होने के कारण आये दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

इस भिवाड़ी—अलवर बाईपास रोड पर भारी ट्रैफिक और भीड़भाड़ के कारण लिंक रोड के चौड़ाईकरण एवं सौंदर्याकरण का कार्य राशि 37.86 करोड़ रुपये का प्रगतिरत है। जिसकी लम्बाई 4.1 कि.मी. है। इसमें 130 से अधिक ट्रांसफार्मर के साथ इस सड़क के दोनों ओर 11 केवी व 33 केवी लाईनें गुजर रही हैं। बाईपास सड़क की लम्बाई में दोनों ओर मुख्य बड़ी आवासिय व व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं। 11 केवी और 33 केवी लाईन व ट्रांसफार्मर को सड़क के चौड़ाईकरण के कारण शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता है तथा दुर्घटनाओं और आग के खतरों से बचने के लिए भूमिगत केबल बिछाये जाने अति-आवश्यक है।

इस लिंक रोड को सिक्स लेन और सर्विस लेन के साथ सेंट्रल वर्ज और ग्रीन बेल्ट के साथ प्रस्तावित किया गया है— इसलिए प्रतिबंधित आरओडब्ल्यू के कारण सड़क के दोनों ओर अवस्थित विद्युत लाईनों को शिप्ट करने हेतु साईट का निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता (पावर) रीको, अधिकारी अभियन्ता (पावर) रीको, अधिशाषी अभियन्ता (HTM) जयपुर डिस्कॉम भिवाड़ी, सहायक अधिशाषी अभियन्ता (पावर) रीको, जयपुर डिस्कॉम भिवाड़ी, सहायक अभियन्ता (पावर) रीको, जयपुर द्वारा किया अभियन्ता (HTM) जयपुर डिस्कॉम भिवाड़ी, सहायक अभियन्ता (पावर) रीको, जयपुर द्वारा किया अभियन्ता (HTM) जयपुर डिस्कॉम भिवाड़ी, सहायक अभियन्ता (पावर) रीको, जयपुर द्वारा किया गया। उक्त अवस्थित विद्युत लाईनों को साईट की स्थिति के अनुसार भूमिगत सिस्टम से शिप्ट किये जाने का संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया। इस 4.1 किमी लम्बाई में 11 केवी और 33 केवी लाईनों को स्थानांतरित करने की कुल अनुमानित लागत ₹ 1271.00 लाख है। उक्त तकमीना राजस्थान पी.डब्ल्यू.डी. बीएसआर इलेक्ट्रिकल 2022 पर आधारित हैं।

अतः अलवर बाईपास सड़क (SH-25) पर स्थापित 11 KV, 33 KV, LT लाइनों को शिफ्ट कर भूमिगत करने हेतु राशि 1271.00 लाख रुपये की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रकरण लोक निर्माण समिति बीड़ा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत छें।

निर्णयः— समिति द्वारा प्रकरण में विस्तृत विचार विमर्श करने पर कार्य की monitoring के लिए अधीक्षण अभियन्ता (पावर), रीको को अधिकृत करने हेतु निर्णय किया गया एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता (पावर), रीको के माध्यम से JVVNL से जारी कराने का निर्णय लेते हुए साथ ही कार्य की राशि रु 1271.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। 

भिवाड़ी में स्टेडियम निर्माण हेतु अधिगृहित भूमि पर प्रथम चरण के स्टेडियम का निर्माण कार्य करवाये जाने वास्ते राशि रु 20.55 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत -

भिवाड़ी शहर की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं के लिए शहर में खेल- कूद इत्यादि के लिए वर्तमान में कोई भी व्यवस्था नहीं है। भिवाड़ी शहर के युवा वर्ग एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शहर में खेल-कूद जैसी सुविधाओं का होना अतिआवश्यक है। तत्कालीन नगर विकास न्यास, भिवाड़ी द्वारा वर्ष 1990-91 में स्टेडियम के निर्माण हेतु ग्राम आलमपुर व ग्राम भिवाड़ी की कुल 34 बीघा 2 बिसवा भूमि अधिगृहित की गई थी। स्टेडियम निर्माण की DPR हेतु EOI आमंत्रित की गयी। EOI में मैसर्स 3D कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्युनतम् दर के आधार पर DPR बनाने का कार्यादेश दिया गया था। प्रस्तुत DPR अनुसार स्टेडियम के निर्माण कार्य पर अनुमानित राशि रूपये 32.70 करोड़ रूपये का व्यय होना संभावित है।

इसके साथ ही माननीय विधायक महोदय, तिजारा का उक्त स्टेडियम के निर्माण बाबत पत्रांक वि/ ति/ जयपुर /59 दिनांक 24.04.2022 बीड़ा भिवाड़ी को प्राप्त हुआ है। चूंकि स्टेडियम निर्माण हेतु अधिगृहित कुल 34 बीघा 2 बिसवा भूमि में से केवल भिवाड़ी ग्राम के 03 खसरे जिनका कुल रकबा 1 बीघा 6 बिसवा पर माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर का स्थगन आदेश जारी है, जबकि 32 बीघा 16 बिसवा भूमि पर कोई स्थगन आदेश नहीं है।

उक्त प्रकरण को भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीड़ा) की 6 वीं बैठक दिनांक 17.06.2022 में रखा गया था। निर्णय अनुसार खेल मंत्रालय भारत सरकार से बजट आंवटन के लिए प्रस्ताव तैयार कर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार से माध्यम से खेल मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाये जाये। जिसकी प्रति माननीय सांसद महोदय, अलवर को प्रेषित की जाये। एक माह पश्चात खेल मंत्रालय से बजट आंवटन नहीं होने की स्थिति में बीड़ा भिवाड़ी द्वारा स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा एवं तत्पश्चात खेल मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त बजट का समायोजन कर लिया जावेगा। बीड़ा बैठक में लिए निर्णय की पालना में संयुक्त सचिव भारतीय खेल प्राधिकरण, दिल्ली भिवाड़ी में प्रस्तावित स्टेडियम हेतु राशि रु 32.70 करोड़ उपलब्ध कराने पत्र क्रमांक 3838/22 दिनांक 01.07.2022 को लिखा गया। पत्र की प्रति माननीय सांसद, अलवर को भी प्रेषित की गयी।

खेल मंत्रालय भारत सरकार से किसी भी प्रकार प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय बीड़ा अध्यक्ष महोदय द्वारा बीड़ा स्तर से स्टेडियम का निर्माण कार्य कराये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। स्टेडियम निर्माण कार्य के क्रम में दिनांक 20.09.2022 को स्थानीय जनप्रतिनिधि/कर्मचारी/खेल-कूद से संबंधित व्यक्तियों से सुझाव हेतु बैठक बीड़ा कार्यालय में आयोजित की गयी। डी.पी.आर. में अंकित कार्यों के अनुसार प्रथम चरण के कार्य जैसे बैडमिंटन हॉल, मुख्य खेल मैदान (फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ट्रेक) मय आगन्तुक दिधा, पवेलियन, कोर्ट (वालिवॉल, बास्केटबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी) सार्वजनिक शौचालय, सड़क, पाथवे, लैन्डस्केपिंग, चारदिवारी, विद्युतिकरण इत्यादि कार्य हेतु राशि 20.55 करोड़ रूपये की प्रसाशनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विचारार्थ प्रेषित है।

अतः भिवाड़ी में स्टेडियम निर्माण कार्य के प्रथम चरण हेतु राशि 20.55 करोड़ रूपये के कार्य कराये जाने वास्ते प्रकरण लोक निर्माण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः- प्रकरण में समिति द्वारा गहन विचार विर्मश करने के उपरान्त प्रथम चरण के कार्य हेतु उपरोक्तानुसार राशि रु 2055.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। तकनीकी स्वीकृति से पूर्व मुख्य अभियन्ता नगरीय विकास विभाग जोन अलवर, महाप्रबन्धक (सिविल) रीको एवं अधीक्षक अभियन्ता वृत अलवर सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर से कार्य के तकमीने पर विचार विर्मश के उपरान्त सक्षम स्तर से जारी की जावे।

3. वीडा भिवाड़ी में पिंक टॉयलेट निर्माण के कार्यादेश के क्रम में

भिवाड़ी में महिलाओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाना है। इस सन्दर्भ में नगर परिषद् आयुक्त द्वारा पत्र क्रमांक 3641 दिनांक 17.08.2022 वीडा भिवाड़ी को निवेदन किया है कि नगर परिषद् भिवाड़ी में अधिशाषी अभियन्ता कार्यरत नहीं होने के कारण टॉयलेट का तकमीना क्रियान्वित किया जाना संभव नहीं है। पिंक टॉयलेट निर्माण पर तकमीना RUIDP SOR 2022 के अनुसार राशि रु 29.94 + रु 3.29 = रु 32.93 लाख (including 10% implementation charges) बनाकर Sulabh International Social Service Organization द्वारा प्रस्तुत किया गया है। टॉयलेट निर्माण वीडा के स्तर से करवाकर नगर परिषद् को हस्तान्तरित करने वास्ते लिखा गया है।

इसी सन्दर्भ में FINANCE (G&T) DEPARTMENT Notification दिनांक 23.12.2021 में उल्लेख है कि Sulabh International Social Service Organization को कार्यादेश विभाग द्वारा दिया जा सकेगा। Notification के 59(1) में उल्लेख है तथा दर का निर्धारण Notification के 59(4) के अनुसार गठित कमेटी द्वारा किया जाना है।

अतः पिंक टॉयलेट निर्माण का कार्यादेश Sulabh International Social Service Organization दिये जाने के निर्णय वास्ते प्रकरण लोक निर्माण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्रकरण में समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर Sulabh International Social Service Organization से 10% implementation charges देते हुए कार्य दिए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

नीमराण से ईश्वरसिंह पुरा की ओर डामर सङ्क का निर्माण कार्य।

उपरोक्त कार्य हेतु राशि रु 80.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तत्कालीन नगर विभाग न्यास भिवाड़ी की 57वीं बैठक दिनांक 08.12.2017 में प्रदान की गई। एवं तकनीकी स्वीकृति राशि 80.00 लाख रु तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता नगर विकास न्यास भिवाड़ी द्वारा दिनांक 27.12.2017 को जारी की गई। कार्य के निविदा आमंत्रित करने के तत्पश्चात् कार्य का कार्यादेश क्रमांक 1277-81 / 18 दिनांक 21.06.2018 मैसर्स दीपक कंस्ट्रक्शन कंपनी को राशि 65,40,630.72 रु का जारी किया गया था। जिसके अनुसार काय का विवरण निम्नानुसार है।

कार्य प्रारंभ करने की नियत तिथि : 01.03.2018

कार्य समाप्त करने की नियत तिथि : 31.12.2018

कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि : 10.06.2019

किए गए कार्य की कुल लागत राशि : 65,69,816.18 रु

डेवियेशन स्टेटमेंट : अतिरिक्त मुख्य अभियंता बीड़ा भिवाड़ी द्वारा स्वीकृत

एकस्ट्रा आईटम : 34650/-

टाईम एक्सटैन्शन : अतिरिक्त मुख्य अभियंता बीड़ा भिवाड़ी द्वारा दिनांक 10.06.2019 तक बिना शास्ति स्वीकृत।

उपरोक्त कार्य की अन्तरिम समयावधि बढ़ाने हेतु अधिशाषी अभियंता अधिकृत है तत्कालीन अधिशाषी अभियंता द्वारा पत्रावली के C-39 पर 15.06.2019 तक अन्तरिम समयावधि बढ़ाई गई। एवं अन्तिम समयावधि प्रकरण अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा बिना शास्ति के स्वीकृत किया जा चुका है।

कार्य का Deviation Statement अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

कार्य का चतुर्थ एवं Final Bill भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया परंतु कार्य में निम्न Items की मात्रा G-schedule से ली गई मात्रा से 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा का कार्य करवाने जाने के कारण व बीड़ा में नई SOP लागू हो जाने के कारण कार्य का भुगतान नहीं किया गया।

अतः प्रकरण विभिन्न आईटमों में 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा के होने व तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता के स्वीकृत किए जाने पश्चात् नई SOP लागू हो जाने के कारण भुगतान हेतु समिति के समक्ष विचार प्रस्तुत है।

निर्णयः— समिति द्वारा गहन विचार विमर्श करने के उपरान्त वर्तमान SOP के अनुसार ही कार्यवाही कराने का निर्णय लिया गया।

५. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से SH-25 से ग्राम थड़ा को जोड़ने वाली सड़क के दोनों और नालियों का निर्माण कार्य।

थड़ा मोड SH-25 से ग्राम थड़ा को जोड़ने वाली डामरीकरण पेवर फिनिसर द्वारा सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा राशि 200.00 लाख रु की दी जा चुकी है। कार्य के तहत 7.50 मी. चौड़ाई में सड़क निर्माण एवं सड़क के दोनों और 2.25 मी. चौड़ाई में टाईल्स लगाने का कार्य प्रस्तावित किया गया था। निविदा आमंत्रित कर कार्य आदेश प्रक्रिया में है। निम्नानुसार डामरीकरण सड़क के दोनों तरफ पानी निकासी की व्यवस्था होना अनिवार्य है तथा आमजन द्वारा सड़क के दोनों और नालियों का निर्माण करवाए जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उक्त मार्ग पर वर्षा जल की सुगम निकासी हेतु आर.सी.सी नाली के निर्माण कार्य पर अनुमानित लागत 197.01 लाख रु में व्यय होगा एवं Brick masonry नाली के निर्माण कार्य पर अनुमानित लागत 97.80 लाख रु का व्यय होगा। श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नाली निर्माण RCC या brick masonry से करवाया जाये के तकनीकी पहलुओं पर विचार करने हेतु लोक निर्माण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— प्रकरण में लोक निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के उपरान्त नाली निर्माण RCC से करवाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् सह धन्यवाद् बैठक समाप्त की गई।

अधीक्षण अभियन्ता
भिवाड़ी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण,
भिवाड़ी

दिनांक : 22/09/22

क्रमांक: ५५५९-६७/२२

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा भिवाड़ी।
3. श्रीमान मुख्य नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जयपुर।
4. श्रीमान मुख्य अभियन्ता, नगरीय विकास विभाग, जोन अलवर।
5. श्रीमान महाप्रबन्धक (सिविल) रीको, जयपुर।
6. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अलवर।
7. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, बीडा भिवाड़ी।
9. वरिष्ठ / उप नगर नियोजक, बीडा भिवाड़ी।

अधीक्षण अभियन्ता
भिवाड़ी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण
भिवाड़ी